

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक, श्रीगंगानगर

19.12.2024 प्रार्थी सतीश कुमार पुत्र श्री
शुभाष चन्द्र जाति बिष्णोई उम्र 33
साल निवासी चक 1 पी बड़ी,
रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला
श्रीगंगानगर न्यायालय हाजा में प्रार्थना
पत्र 212 राजस्थान कारतकारी
अधिनियम का प्रस्तुत किया है जिसमें
राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया
है। प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 80(2) सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन
किया है कि प्रार्थना पत्र में राज्य
सरकार को 60 दिवस पूर्व नोटिस नहीं
दिया गया है क्योंकि प्रकरण आवश्यक
प्रकृति का है। अतः प्रार्थी को विना
नोटिस दिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने
की अनुमति प्रदान की जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया एवं
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है।
इसलिए प्रार्थी को 60 दिवस पूर्व राज्य
सरकार जरिये तहसीलदार को नोटिस
प्रेषित करने की बाध्यता से छूट प्रदान
किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
80(2) सीपीसी स्वीकार किया जाता है
एवं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने
की अनुमति प्रदान की जाती है। ८८